

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, 20/15

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / केम्प कोर्ट) कैम्प 20/15

आदेश:-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी 20/15 व भूजमि 20/15
 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार 20/15 / चायत तहसीलदार 20/15 की अनुमति के आधार पर राजस्थान
 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम 20/15/107 तहसील 20/15 व जिला 20/15-5
 की जमाबन्दी संख्या 20/15-28 में खाता संख्या 180 में वर्तमान में दर्ज
 प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं -

क.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	20/15/107	180	महेन्द्र सिंह 16. दीपक "	महेन्द्र सिंह 16. दीपक "

(Signature)
 सहायक कलक्टर
 उपखण्ड अधिकारी भीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर 20/15

दिनांक :- 03/10/2025

क्रमांक :- 125/376

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार 20/15 को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर फालतू रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री 20/15/107 को सूचनाथ।
3. रक्षित पत्रावली। 20/15/107

(Signature)
 सहायक कलक्टर
 उपखण्ड अधिकारी भीम
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 जिला 20/15